



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

फोन : 0141-2702784, 2706577-78 फैक्स : 2706575

E-Mail: igprs@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 4()भण्डार/आईजीपीआरएस/2017/7521-22 दिनांक: 29/11/2018.

1. मैसर्स.....
2. मैसर्स.....
3. मैसर्स.....

विषय:- संस्थान में कार्यालय हेतु चाय एवं अन्य सामान की सप्लाई हेतु कोटेशन

(Request for Quotation) प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्थान के कार्यालय उपयोग हेतु चाय एवं अन्य सामान की आवश्यकता रहती है जिसके लिये आप अपनी दरें दिनांक 03.12.2018 को दोपहर 12:00 बजे तक आवश्यक रूप से संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें, उसके उपरान्त प्राप्त कोटेशनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

संलग्न :- दर प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रारूप ।

प्रतिलिपि:-

1. वरिष्ठ लेखाधिकारी, संस्थान।

अतिरिक्त निदेशक

उपनिदेशक (प्रशासक)

इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 4()
 भण्डार/आईजीपीआरएस/2017/2521-22 दिनांक :- 29/11/2018 के लिए चाय व अन्य सामान हेतु
दरें प्रस्तुत करने का प्रारूप

क्र.सं.	सामान का विवरण	प्रति किलो प्रति पकेट ग्राम सहित	दर (रु.) जी एस टी एवं समस्त करों सहित
1	एवरेडी मिल्क दूध	400 ग्राम एक किलो	
2	शूगर क्यूब (100 नग)	प्रति पैकेट	
3	ताज महल चाय	एक किलो आधा किलो	
4	कोफी (नेसकैफे कॉफी)	50 ग्राम	
5	कोफी (नेसकैफे कॉफी)	100 ग्राम	
6	लेमन टी बैग	प्रति पैकेट	
7	बिस्किट नमकीन (मोनाको)	प्रति पैकेट	
8	बिस्किट मीठे (ब्रिटेनिया), गुड डे, क्रीम बिस्कुट	प्रति पैकेट प्रति पैकेट	
9	नमकीन भुजिया (बीकानेरी)	एक किलो 400 ग्राम	
10	ग्रीन टी लेमन एण्ड हनी बैग टी	प्रति पैकेट	
11	ग्रीन टी बैग ट्वींग	प्रति पैकेट	
12	तुलसी जिनजर टी	प्रति पैकेट	
13	चीनी प्रति किलो	एक किलो	
14	तुलसी ग्रीन टी	प्रति पैकेट	
15	ताजमहल टी बैग	प्रति पैकेट	
16	शहद डाबर हनी	एक किलो	
17	मिरिन्डा, पेप्सी, कोकाकोला	दो लीटर	
18	सुगर फ्री	प्रति पैकेट 50 टेबलेट	
19	लौंग	एक किलो	
20	इलायची	एक किलो	
21.	काली मिर्च	एक किलो	
22	सैंधा नमक	एक किलो	
23.	ताजमहल बुक बॉण्ड टी बैग	प्रति पैकेट	

24.	ग्रीन टी बैग	प्रति पैकेट	
25.	न्यूट्री चोईस बिस्कुट मीठे	प्रति पैकेट	
26.	न्यूट्री चोईस नमकीन बिस्कुट	प्रति पैकेट	
27.	टेटली ग्रीन टी	प्रति पैकेट	
28.	ग्रीन टी एण्ड लैमन ट्वीनिंगस	प्रति पैकेट	
29.	कुकीज एण्ड मोर बिस्कुट (मीठे)	प्रति पैकेट	
30.	कुकीज एण्ड मोर बिस्कुट (नमकीन)	प्रति पैकेट	
31.	टेटली ग्रीन टी विथ लेमन एण्ड हनी	प्रति पैकेट	
32.	टेटली लेमन	प्रति पैकेट	
33.	डबल डयमण्ड ताजमहल चाय	प्रति किलो	
34.	तुलसी ग्रीन टी लेमन जींगर	प्रति पैकेट	
35.	डेवीडोफ केफे	प्रति पैकेट	
36.	तुलसी ग्रीन टी	प्रति पैकेट	
37.	गिरनार (Detox Green Tea Desi Kahwa)	प्रति पैकेट	
38.	सॉठ	प्रति किलो	
39.	नेशले दूध डीप	प्रति किलो	
40.	ब्लेक टी (ताजमहल/टेटली/लिफ्टस, अर्गनिक इण्डिया ग्रीन गया/गिरनार/ट्वींग	प्रति पैकेट	
41.	मोगर	प्रति किलो	
42.	कजी बिस्कुट	प्रति किलो	
43.	ऑडोनिल ब्लाक फॉर टॉयलेट वंडर फ्रेश फॉर टॉयलेट	प्रति पैकेट प्रति पैकेट	
44.	हीट (काली) हीट (लाल)	प्रति नग प्रति नग	
45.	बॉथ शॉप साबून	प्रति नग	
46.	हारपिक	प्रति नग	
47.	एयर पॉकेट (गोदरेज)	प्रति नग	
48.	सर्फ	प्रति किलो	
49.	लक्स साबून	प्रति नग	
50.	लिक्विड हैण्डवास (डिटोल/लाईफवॉय/संतूर)	प्रति नग	
51.	कोलीन	प्रति नग	

h

52.	सैनेटाइजर	प्रति	
53	यूरिनल क्यूब बडी (कलर) यूरिनल क्यूब (छोटी)	प्रति पैकेट प्रति पैकेट	
54	कपूर गोली	प्रति किलो	
55	लक्ष्मण रेखा	प्रति पैकेट	
56.	टिसू पेपर (100 पीस)	प्रति पैकेट	
57	आल आउट रिफिल व मशीन	प्रति नग	
58	रूम स्प्रे - लेमन	प्रति नग	
59	फिनाईल	प्रति किलो	
60	नेथलीन बाल (बडी) नेथलीन (छोटी)	प्रति पैकेट प्रति पैकेट	
61	काला नमकीन (चौला मोगर, चना जोरगरम, बेसन की मोटी नमकीन आदि)	प्रति किलो	
62.	उक्त सामान के अतिरिक्त अन्य कोई सामान की यदि संस्थान को आवश्यकता हो एवं उसकी सप्लाई करने हेतु फर्म को आदेशित किया जाता है तो उक्त सामान को फर्म एम आर पी/प्रचलित बाजार दर से कितने प्रतिशत डिस्काउण्ट पर संस्थान को उपलब्ध करवाने को सहमत होगी का उल्लेख करे।		

नोट:-

1. अनुमोदित दरों पर अनुमोदित सामान एक दिवस में शर्तों के अनुरूप सप्लाई की जानी होगी।
2. सामान उत्कृष्ट क्वालिटी एवं ब्राण्डेड कम्पनी का होना चाहिए। (जिन सामानों के आदेशों में कम्पनी का उल्लेख नहीं किया गया हो)।
3. संस्थान द्वारा अनुमोदित सामान को आदेशित करने के उपरांत भी फर्म द्वारा सामान की सप्लाई संस्थान को नहीं की जाती है तो संस्थान द्वारा वो सामान बाजार से क्रय किया जायेगा एवं इस पर आने वाला अतिरिक्त व्यय/भार अनुमोदित फर्म से वसूला जायेगा।
4. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में महानिदेशक, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान का निर्णय ही अन्तिम होगा।
5. निविदा की अवधि मार्च 2018 तक होगी।
6. समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित न्यायालय होंगे।
7. सफल निविदादाता को 500 रु. के स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा तथा 5000 रु. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी जो अनुबंध समाप्ति के बाद लौटा दी जावेगी।
8. अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर निविदादाता द्वारा जमा करवाई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि संस्थान द्वारा जब्त की जा सकेगी।

अतिरिक्त निदेशक